

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 519] नई दिल्ली, बुधवार दिनांक 14, 1972/अग्रहायण 23, 1894

No. 519] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 1972/AGRAHAYANA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 14th December 1972

S.O. 747(E).—In partial modification of the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) Order No. S.O. 649(E)/18A/IDRA/72, dated the 9th October, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the 9th October, 1972, the Central Government hereby appoints Shri A. L. Mukherjee, Additional Commissioner of Excise, Government of West Bengal as Member and Chief Executive Officer in the body of persons authorised to take over the management of Luxminarayan Cotton Mills Limited, Rishra, vice Shri D. K. Banerjee.

[No. F.3/38/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR Jt. Secy.

औद्योगिक विनियम संश्लेष

आदेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1972

का० आ० 747(अ) — भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) में दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 को प्रकाशित, औद्योगिक विकास (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 649 (ई)/18 ए/आई डी आर ए/72, दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 में आंशिक उपांतर करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री डी० के० बीनर्जी के स्थान पर श्री ए० के० मुखर्जी, उत्पाद शुल्क के अपर आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, को लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स लिमिटेड, रिशरा का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय में सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है।

[सं० फा० 3/38/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।